भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5361

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

किफायती किराया आवास परिसर योजना की प्रगति

5361. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों सहित किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस योजना ने शहरी क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2020 से पंजाब में वर्षवार कुल कितने एआरएचसी स्वीकृत किए गए हैं;

(घ) पंजाब में इस समय कितने एआरएचसी कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का प्रवासियों के लिए सस्ते आवास को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का विस्तार करने पर विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी प्रवासियों/गरीब व्यक्तियों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराये के आवास परिसर (एआरएचसी) शुरू किए। इस योजना को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

i. मॉडल-**1:** जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा।

ii मॉडल-**2:** सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/कम आय वर्ग (एलआएईजी) के शहरी प्रवासी/गरीब व्यक्ति एआरएचसी के लाभार्थी हैं।

मॉडल-1 के अंतर्गत अब तक 5648 मौजूदा सरकारी वित्तपोषित खाली पड़े मकानों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में एआरएचसी में परिवर्तित किया गया है । मॉडल-2 के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 7 राज्यों में 82,273 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है, जिनमें से 35,425 को पूरा कर लिया गया है और शेष शुरुआती/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं । ये एआरएचसी सभी पात्र लाभार्थियों को किफायती दरों पर सभी नागरिक सुविधाओं सहित सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराते हैं। पंजाब राज्य सरकार से एआरएचसी उप-योजना के अंतर्गत अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू **2.0** 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है, ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से **1** करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके।

पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब व्यक्तियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/एलआईजी के उन लाभार्थियों के लिए किराये के आवास परियोजनाओं के निर्माण को बढ़ावा देना है, जो अपना आवास नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए आवास की आवश्यकता है। । पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशा-निर्देश **https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf** पर देखे जा सकते हैं।